संचिका सं0–15/डी0 एल0 ए0 नालन्दा (पथ उन्नयन) –38/2012– 167../रा0 पटना, दि0–17/01./2013

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन शाखा)
अधिघोषणा

संख्या डी0 एल0 ए0 नालन्दा पटना, दिनांक..................................

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि गाँव–सबनहुआ, परगना–भीमपुर, थाना नं0–213 थाना–बाढ़, जिला–नालन्दा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात हरनौत रेलवे स्टेशन से कल्याणविगहा पथ उन्नयन निर्माण कार्य के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव–सबनहुआ, थाना नं0–213 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोवेश **0.93** एकड़ होता है, जिसका सर्वे खेसरा संख्या निम्नांकित है:– खेसरा सं0–1196, 1197, 1201, 1202, 1227, 1229, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244 एवं 1245 सभी अंश तथा खेसरा सं0 1232 पूर्ण।

जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :–

उत्तर:– खेसरा सं0 1197, 1196, 1201, 1202, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244 एवं 1245 सभी अंश तथा मौजा–डिहरी थाना नं0–208
पूरब :– खेसरा सं0 1484 अंश।
दक्षिण :– खेसरा सं0 1233 एवं 1066 सभी पूर्ण।
पश्चिम :– खेसरा सं0 1065 अंश।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा–पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों को खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है, उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो, तो लिये जायेगें।

यह घोषणा अधिनियम 1, 1864 की धारा 6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा–3 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय नालन्दा, बिहारशरीफ में देखा जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, नालन्दा	**अपर समाहर्त्ता, नालन्दा**	**समाहर्त्ता, नालन्दा**	**सरकार के ~~उप~~ संचिव** अवर

ज्ञापांक 167/रा0 डी0 एल0ए0– नालन्दा, दिनांक 17-01-13/

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं प्रकाशित संस्करण का जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालन्दा, बिहारशरीफ एवं इस विभाग को प्रेषित करने हेतु।

2. **प्रतिलिपि** :– उप समाहर्त्ता प्रभारी, सामान्य शाखा, नालन्दा, बिहारशरीफ को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट को जिला भूमि अर्जन कार्यालय, नालन्दा को दस प्रतियों में एवं इस विभाग को दस अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने के लिये।

3. **प्रतिलिपि** :– अपर समाहर्त्ता/समाहर्त्ता, नालन्दा, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के ~~उप~~ सचिव
अवर